न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 03/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/07

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
प्रेमचन्द उर्फ पेमाराम पुत्र चुनीलाल, जाति घांची निवासी पांचेटिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. बाबुलाल पुत्र चुनीलाल जाति घांची निवासी पांचेटिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत पांचेटिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पांचेटिया

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

–: निर्णय :–

दिनांक : 26/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत पांचेटिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 18.09.1983 की पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.05.1989 के विरूद्ध पेश की हैं। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 दौराने वहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय वहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त वहस कथन किया कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टा पंचायत नियम 271 के तहत निलामी में खरीदा था, जिसका पंचायत ने दिनांक 31.05.1989 को अप्रार्थी संख्या 1 का नाम जोड़ कर गलत पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 तत्कालीन सरपंच का रिश्तेदार होने से प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया और न ही पट्टा जारी करने हेतु निर्धारित नियमों की पालना की गयी। इसलिए विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा वहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत पांचेटिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 18.09.1983 की पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। वकील प्रार्थी ने दौराने वहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा केवल प्रार्थी ने निलामी से क्रय किया था उसमें अप्रार्थी संख्या 1 का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया। इसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड में बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 22.03.1984 में अंकितानुसार "आवादी भूमि की विक्रय विलेख की मिसल निलामी श्री चुनीलाल पुत्र आशाजी घांची पांचेटिया रू. 1425/– व श्री पेमाराम पुत्र चुनीलाल घांची पांचेटिया रू. 4001/– की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के पत्रांक पंच/भू.

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वि./स्वीकृति/84/2381 दिनांक 15.03.1984 की स्वीकृत सुदा पेश हुई'' के अनुसार प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि जैर निगरानी पट्टे को केवलमात्र प्रार्थी ने जरिये निलामी क्रय किया था परन्तु हस्तगत पट्टे में प्रार्थी के साथ अप्रार्थी का नाम भी अंकित है जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 11.07.1983 में अंकितानुसार इन्द्रा कॉलोनी में स्थित पट्टे जिसकी चारों दिशाए उत्तर दिशा में मांगीलाल ढोली, दक्षिण दिशा में पुका घांची, पश्चिम दिशा में आम रास्ता तथा पूर्व दिशा में आम रास्ता अंकित है जिसकी सार्वजनिक खुली निलामी की जावे, जो कि जैर निगरानी पट्टे में अंकित चारों दिशाओं से मिलान करती है। साथ ही प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 27.07.1983, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12.08.1983, प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 18.09.1983 तथा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 30.01.1984 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे के प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में लिये गये है परन्तु पट्टे की वैधानिकता का निर्धारण, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के परीक्षण के पश्चात् ही किया जाना है तथा हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे में अंकितानुसार भूमि खरीदने के लिये आवेदन चुन्नीलाल ने पेश किया जबकि हस्तगत पट्टा बाबुलाल, पेमाराम के पक्ष में जारी किया गया, जो भी जैर निगरानी पट्टे की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 271 के तहत जारी किया गया हैं। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा ''क से घ'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता की जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है, ग्राम पंचायत के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ही नहीं है, जो हस्तगत पट्टे को सन्देहास्पद बनाती है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवतं सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पांचेटिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 18.09.1983 की पालना में बाबुलाल, पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल घांची के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.05.1989 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत पांचेटिया को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य/दस्तावेजों की जांच कर राजस्थान पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत पांचेटिया का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली